

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त एवं व्यवहार कुलसंविधि जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाये न कि किसी अन्य पदाचारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण तैयारी में प्रभ्र व्यवहार हुआ हो तो प्रक्रमांक एवं दिग्कं अवश्य सिद्धा जाये जिससे सिद्धिया हो।



ग्राम : यूनीवरिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

**प्रेषक :**  
कुलसविव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
गवालियर  
क्रमांक:एफ/सन्म्बद्धता/2009/ ५१९६

दिनांक: 17/08/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्यालियर से सम्बद्ध स्थानी विवेकानन्द कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, शिवपुरी को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित संचालित बी.ए. पायथक्रम कक्षा पाठ्यक्रमों विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थानी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्यालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेयम 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-



निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावाहानों के अनुलूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुत्क, धरोहर राशि, वाणिज्यिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अधापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाल्यक्रम/आईडिवेन्स तथा पिछ्ले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्वापित कर विरीक्षण करायें। समिति संयोजक से लियेदेन है कि वे उक्त विधायित समय में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधित विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

"समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई दैरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा भोगाल को भेज दी जावेगी। यदि नहाविद्यालय 03 नाम में विरीक्षण बही करता है तो समिति स्वतः विरस्त हो जावीती और तुबः विरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही विरीक्षण समिति का पुर्वगति किया जावेगा। परिविधय 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना अत्रों को प्रवेश देवा अवैधानिक है।

बिरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यस्थल / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेगी तथा महाविद्यालय की वस्तुएँ समिति से बिरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। बिरीक्षण समिति के सदस्यों को ठी.ए. / डी.ए. / गवर्नर महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

डॉ. ए. / मानदेव महाविद्या  
कुलसचिव

**प्रतिलिपि :-**

- समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
  - प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आगह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण विनांक विद्यारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उत्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
  - आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुदा भवन, भोपाल
  - कुलाधिसिविव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
  - कुलपति के सविव / कुलसविव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
उप-कलसविव (अन्वेषण)